राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1108, 1109/2015.....जिला.....अजमेर.....

उनवान – मैसर्स भागचन्द जैन एण्ड संस, अजमेर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, अजमेर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2015	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ओ.पी.माहेश्वरी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री जमील जई उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक **21.05.2015,** जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत् पारित निर्धारण आदेश दिनांक **12.02.2015** निर्धारण वर्ष **2012–13 एवं 2014–15** के संबंध में कायम की गयी मांग राशियों में से बकाया वसूली योग्य राशि **रू0 96,638/–** एवं **रू0 12,419/–** की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती दी गयी है । अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा बकाया वसूली पर पूर्ण रूप से रोक लगाने से इन्कार करने के आदेश में किसी प्रकार के कारणों का अंकन नहीं किया गया है, साथ ही कथन किया कि मात्र तकनीकी कारणों से उनके द्वारा खरीद पर जमा कराये गये कर का सत्यापन कराने के बावजूद भी आगत कर (आईटीसी) का लाभ नहीं देकर विधि विरूद्ध मांग सृजित की गई है। अतः प्रकरण व सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया। लिहाजा, मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया । विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन कर सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1108, 1109/2015.....जिला.....अजमेर.....

उनवान – मैसर्स भागचन्द जैन एण्ड संस, अजमेर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, अजमेर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2015	– 2 – उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। निर्धारण व अपीलीय अधिकारी के आदेशों के अवलोकन एवम् पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात्, प्रथम–दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी **के पक्ष में आंशिक रूप से होना प्रतीत होता है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, बकाया मांग राशि रू0 96,638/– एवं 12,419/– की वसूली पर रोक लगायी जाती है** तथा अपीलार्थी व्यवहारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे **निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप** इस आदेश प्राप्ति के **15 दिवस में,** उनके समक्ष **पर्याप्त जमानत (adequate security)** प्रस्तुत **करेंगे अन्यथा यह आदेश स्वतः ही अप्रभावी समझा जायेगा** । इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे इस आदेश प्राप्ति के **तीन माह** में उनके समक्ष निस्तारण हेतु शेष अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगें । उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया । 15.9.2015 (मदन लाल) सदस्य	